

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :— प. 17(1)साप्र/2/16

—: आदेश :—

जयपुर, दिनांक : १५-२०१७

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाते हैं :—

क्र. सं.	वरियता सं.	नाम व पद	प्रस्तावित आवास	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	2	3	5	6
1.	143 / 09	श्री अनिल कुमार कौशिक कनिष्ठ लिपिक पुलिस अधीक्षक (मु.)जयपुर	4/डी/16, गांधीनगर	30.9.2032
2.	36 / 10	श्री बनवारी लाल मीणा सहायक अनुभागाधिकारी राजस्थान विधान सभा, जयपुर	4/सी/19, गांधीनगर,	31.7.2025
3.	82 / 10	श्री हनुमान सिंह नर्स ग्रेड-गा सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/सी/11, गांधीनगर,	30.11.2041
4.	129 / 10	श्री उमेश कुमार शर्मा लिपिक ग्रेड-गा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) प्रथम, जयपुर प्रथम,जयपुर	4/101, गांधीनगर	28.2.2030
5.	149 / 10	श्री कपिल कुमार सिंघल, कनिष्ठ लिपिक, निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।	4/43, गांधीनगर	30.6.2032
6.	186 / 10	श्रीमती संतोष घोडेला सहायक अनुभागाधिकारी, कार्मिक (ख-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/ए/12, गांधीनगर	30.11.2034
7.	194 / 2010	श्री प्रह्लाद राय कुमावत कनिष्ठ लिपिक उद्योग विभाग, जयपुर	4/41, गांधीनगर	31.7.2028
8.	195 / 10	सुश्री पारूल प्रधान सहायक अनुभागाधिकारी, श्रम एवं नियोजन विभाग शासन सचिवालय जयपुर	4/बी/2, गांधीनगर	31.7.2043
9.	210 / 10	श्री अशोक कुमार शर्मा नर्स ग्रेड-गा सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/44, गांधीनगर	31.7.2046
10.	2 / 11	श्री जितेन्द्र सिंह, वाहन चालक, हरिबक्स कांवटिया, चिकित्सालय,जयपुर	4/134, गांधीनगर	31.5.2023
11.	6 / 11	श्री गोपाल सिंह सहायक लेखाधिकारी कार्यालय वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर	4/63, गांधीनगर	31.7.2022
12.	9 / 11	श्री रामप्रसाद शर्मा लिपिक ग्रेड-गा रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर	4/45, गांधीनगर	31.7.2032
13.	12 / 11	श्री अभिषेक भारद्वाज सहायक अनुभागाधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गोपालन विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/48, गांधीनगर	31.12.2038
14.	16 / 11	श्रीमती कमला देवी नर्स ग्रेड-गा जे के लोन अस्पताल, जयपुर	4/30, गांधीनगर	28.2.2044
15.	17 / 11	श्रीमती सुमन कुमारी नर्स ग्रेड-गा जे के लोन अस्पताल, जयपुर	4/55, गांधीनगर	30.11.2045
16.	22 / 11	श्री रामगोपाल मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग,जयपुर	4/59, गांधीनगर	31.7.2034


2

17.	27 / 11	श्री रमेश चन्द्र बुनकर सहायक कार्यालय अधीक्षक, निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर	4 / 60, गांधीनगर	31.7.2036
18.	29 / 11	श्री सुरेश चंद मीणा वरिष्ठ लिपिक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर	4 / 87, गांधीनगर	30.11.2032
19.	30 / 11	श्री सायर कुमार कुमावत नर्स ग्रेड-ा जे के लोन अस्पताल, जयपुर	4 / 66, गांधीनगर	30.9.2043
20.	31 / 11	श्री सुगर सिंह जाटव नर्स ग्रेड-ा राजकीय चिकित्सालय गणगौरी बाजार, जयपुर	4 / 68, गांधीनगर	31.8.2045
21.	32 / 11	श्री रविन्द्र कुमार मीणा नर्स ग्रेड-ा राजकीय चिकित्सालय गणगौरी बाजार, जयपुर	4 / 90, गांधीनगर	30.9.2041
22.	33 / 11	श्री दामोदर लाल मीणा वाहन चालक 1, राज. एयर स्क्या. एन.सी.सी., जयपुर	4 / 94, गांधीनगर	31.8.2028
23.	40 / 11	श्रीमती उमिला मीणा नर्स ग्रेड-ा जे के लोन अस्पताल, जयपुर	4 / 98, गांधीनगर	29.2.2040
24.	25 / 13	श्रीमती मधु गोयल सहायक अनुभागाधिकारी चिकित्सा (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर	4 / 100, गांधीनगर	30.9.2029
25.	40 / 13	श्री भारत सिंह भाटी सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4 / 110, गांधीनगर	30.6.2032
26.	63 / 13	श्रीमती सपना उपाध्याय सहायक अनुभागाधिकारी वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4 / 115, गांधीनगर	31.8.2039
27.	70 / 13	सुश्री विजय लक्ष्मी शर्मा लिपिक ग्रेड-ा कार्मिक (गा-2) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।	4 / 128 गांधीनगर	31.8.2041

शर्त :-

2. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
5. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
6. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्य नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. कम संख्या 1-3 एवं 6 तथा 8 पर अंकित आवंटी से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 150/- (अक्षरे एक सौ पचास रूपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(इन्द्र सिंह राव)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर / जिला कलकटर, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
5. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
6. सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर। को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
7. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
8. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर। को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
9. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय / राजकीय चिकित्सालय, गणगौरी बाजार / हरिबक्स कावटिया चिकित्सालय / जे.के.लॉन चिकित्सालय / महिला चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय / निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
11. कमाण्डेट, 3 राज. नवल यूनिट, एन.सी.सी. मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
12. जिला शिक्षा अधिकारी, (प्राथमिक / माध्यमिक) शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
13. वित्तीय सलाहकार कार्मिक(ग-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावे।
14. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर जयपुर।
17. प्रोग्राम सहायक, सामान्य प्रशासन (गुप्त-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावे।
18. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (मुख्यालय) जयपुर।
19. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
20. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
21. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चर्पा करावे साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने / रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
22. संबंधित कर्मचारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्ण आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावे।
23. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
24. रक्षित पत्रावली।


शासन संयुक्त सचिव